झारखण्ड सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग

पत्रांक --बी०एम०--06--1030 / 90 /एम0, राँची, दिनांक--

सेवा में,

उपायुक्त,
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

विषय-- पूर्वी, सिंहभूम जिलान्तर्गत मौजा--इचरा आदि के 1312.62 एकड़ क्षेत्र पर यूरेनियम खनिज हेतु सर्वश्री यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लि० द्वारा धारित खनन पट्टा के प्रथम एवं द्वितीय नवीकरण के संबंध में।

प्रसंग -- उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर का पत्रांक--2324, दिनांक--10.09.2014.

आदेश-- सर्वश्री यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लि० को भारत सरकार, परमाणु ऊर्जा विभाग, मुम्बई के पत्रांक-- DS (PSU), Department of Atomic Energy No.-7/5(7)/2013-PSU, दिनांक--24.09.2014 द्वारा प्राप्त निदेश तथा खनिज समनुदान नियमावली, 1960 के नियम--59(1) के परन्तुक के प्रावधान के तहत खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा--8(4) के प्रावधान के आलोक में मौजा--इचरा आदि के 1312.62 एकड़ क्षेत्र पर यूरेनियम खनिज के प्रथम एवं द्वितीय नवीकरण निम्नांकित शर्तों पर प्रदान की जाती है :--

I. **क्षेत्रफल--** 1312.62 एकड़।

II. **खनिज--** यूरेनियम।

III. **अवधि --** 20(बीस) वर्षो के लिए (दिनांक--16.10.1987 से 15.10.2007 तक प्रथम नवीकरण तथा खनन पट्टा के निष्पादन की तिथि से 20 वर्षो के लिए द्वितीय नवीकरण।

IV. **स्वमिस्व --** मेसर्स यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लि० द्वारा प्राप्त वार्षिक कम्पनशेसन की राशि का दो प्रतिशत जिसे परमाणु ऊर्जा विभाग से प्राप्त आँकड़ो के आधार पर राज्यों में बाँटा जाएगा।

परन्तु स्वामिस्व / नियत लगान की उपर्युक्त दरों में हेर--फेर केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्मित माईन्स एण्ड मिनरल्स (डेभलपमेंट एण्ड रेग्युलेशन) एक्ट, 1957 एवं एम0सी0 रूल्स, 1960 के अनुसार समय--समय पर लागू की गयी संशोधित दर के अनुसार होगा।

V. नियत लगान (डेडरेन्ट):-- 2000/--(दो हजार) रूपये प्रति हे० प्रतिवर्ष।

नियत लगान की दर में हेर--फेर खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 एवं खनिज समनुदान नियमावली,

VI. भूतल लगान (सरफेस रेंट) :--सरकारी नियमानुसार जो देय होगा।

VII. प्रतिभूति (सेक्यूरिटी) :-- 10,000 (दस हजार) रूपये

VII. प्रतिभूति (सेक्यूरिटी) – 10,000 (दस हजार) रूपये।

VIII. यदि प्रोसेसिंग के दौरान बाई प्रोडक्ट के रूप में अन्य खनिज का उत्पादन किया जाता है, तो उन खनिजों पर देय स्वामित्व का भुगतान करना होगा।

IX. पट्टाधारी को खनन कार्य की निगरानी के लिए अधिनियम एवं नियमावली के अनुसार योग्यता प्राप्त खनन अभियंता (माईनिंग इंजिनियर) अथवा भूतत्वविद (जियोलोजिस्ट) की नियुक्ति अनिवार्यतः करनी होगी।

X. पट्टेधारी द्वारा वन क्षेत्र खनन कार्य करते समय राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों का पालन अनिवार्यतः करना होगा ।

XI. अन्य शर्तें खान एवं खनिज(विकास एवं विनियमन) 1957 तथा खनिज समनुदान नियमावली, 1960 के अनुसार होगी ।

XII. इस खनन पट्टे का पूर्वी क्षेत्र सर्वश्री हिन्दुस्तान कॉपर लि० द्वारा पूर्व धारित खनन पट्टा क्षेत्र से अंशतः अतिव्याप्त करने का मामला प्रकाश में आया है। अतिव्याप्ता के संबंध में सरकार का निर्णय मान्य होगा।

XIII. पट्टेधारी उपायुक्त अथवा उनके बदले में अधिकृत अन्य पदाधिकारी द्वारा खनन कार्य के लिए निर्धारित सीमा के अतिरिक्त कृषि योग्य भूमि का अर्जन नहीं करेंगे।

XIV. जहाँ कृषि योग्य भूमि स्थायी रूप से अर्जित नहीं की गई है और खनन कार्य निजी व्यवस्था द्वारा किया गया है, वहाँ खनन कार्य के सिलसिले में खुदे हुए गड्ढों आदि को उपायुक्त अथवा उनके बदले में अधिकृत अन्य पदाधिकारी के निदेशानुसार पट्टाधारी भर देंगे।

XV. पट्टेधारी भूमि अर्जन से अथवा अन्य प्रकार से प्रभावित कृषकों तथा उनके आश्रितों को उचित न्यूनतम पारिश्रमिक पर नियोजन के लिए उपायुक्त अथवा उनके बदले में अधिकृत अन्य पदाधिकारी के निदेशानुसार प्रबंध करेंगे।

XVI. अगर रैयतों की आपत्ति के कारण पट्टेधारी क्षेत्र में कार्य नहीं कर पाते हैं तो वे लगान की माफी के लिए सरकार से न तो दावा करेंगे और न इसके लिए किसी तरह का उनका कोई दावा मान्य होगा।

XVII. यदि लागू काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अधिकृत पदाधिकारी की पूर्वानुमति से पट्टेधारी को रैयत द्वारा अपनी रैयती जमीन निर्धारित रकम पर बेच दी जाती है तथा संबंधित भूमि पर रैयती अधिकार पट्टेधारी के नाम हस्तान्तरित हो जाता है, उस स्थिति में रैयत को कोई मुआवजा देय नहीं होगा। संबंधित उपायुक्त यह सुनिश्चित करेंगे कि संबंधित काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत रैयत को पट्टेधारी द्वारा देय क्रय की राशि पर्याप्त है । उपर्युक्त भूमि के विक्रय की दर का निर्धारण भू–अर्जन अधिनियम,1894 के अंतर्गत करेंगे ।

XVIII. भू–अर्जन अधिनियम,1984 की धारा–23 में निहित मार्ग दर्शन का अनुसरण कर प्रति एकड़ उत्पन्न होने वाली वार्षिक फसल की मात्रा का आकलन करते हुए तथा इसके आधार पर रैयतों को देय वार्षिक क्षतिपूर्ति का निर्धारण संशोधित खनिज समनुदान नियमावली,1960 के नियम–72 के अनुसार उपायुक्त या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा ।

XIX. पट्टेधारी खनिकर्म से संबंधित रैयती क्षेत्र के लिए उपर्युक्त उप कंडिका–XVI में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार निर्धारित की गयी वार्षिक क्षतिपूर्ति की राशि का शत प्रतिशत भुगतान संबंधित रैयतों को कर देंगे तथा उसकी पूर्ण सूचना संबंधित उपायुक्त तथा जिला / सहायक खनन पदाधिकारी को देने तथा सत्यापन के पश्चात उपायुक्त अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी का पूर्वानुमोदन प्राप्त कर ही उक्त विनिर्दिष्ट रैयती क्षेत्र में खनिकर्म आरंभ करेंगे।

XX. पट्टेधारी संबंधित रैयत को प्रत्येक पश्चात वर्ष के लिए देय क्षतिपूर्ति राशि का पिछले वर्ष 15 दिसम्बर तक भुगतान कर देंगे तथा उपायुक्त को इसकी तुरत सूचना देंगे।

XXI. पट्टा क्षेत्र में सम्मिलित किन्तु खनिकर्म से अधिक रैयती जमीन पर ही कालान्तर में खनिकर्म आरंभ करने का निश्चय पट्टेधारी करते हैं तब वे उपर्युक्त शर्त / प्रक्रिया का पूर्ण रूपेण अनुसरण कर ही खनिकर्म आरंभ करेंगे।

XXII. यदि पट्टेधारी उपर्युक्त शर्तों / निदेशों का उल्लंघन करेंगे तो उनका पट्टा परिसमाप्त कर दिया जाएगा।

XXIII. निर्धारित एवं देय क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान पट्टेधारी राष्ट्रीयकृत / ग्रामीण बैंक की स्थानीय शाखा में संबंधित रैयतों के नाम से खोले गये उनके खातों में जमा करना सुनिश्चित करेंगे तथा उसकी सूचना संबंधित उपायुक्त तथा जिला / सहायक खनन पदाधिकारी को लिखित रूप से देंगे।

XXIV. उपायुक्त अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी, जिन्हें संशोधित खनिज समनुदान नियमावली के नियम–73 के अधीन सक्षम पदाधिकारी नियुक्त किया गया हो, खनिज पट्टा की समाप्ति / परिसमाप्ति के पश्चात खनिकर्म से भूमि को हुई क्षति और उस पर देय मुआवजा की राशि का अगले एक वर्ष के अन्दर निर्धारण कर देंगे ताकि उक्त मुआवजे की राशि पट्टेधारी संबंधित रैयत को तथा सरकार की जमीन की स्थिति में सरकार को भुगतान कर सकें।

XXV. यदि खनिज का स्वामिस्व किसी कोटि और श्रेणी पर निर्धारित है, पर पट्टाधारी उसे सर्वोच्च कोटि का घोषित करते हैं, तो किसी प्रकार की जाँच प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

XXVI. यदि पट्टाधारी खनिज को निम्न कोटि का घोषित करते हैं, तो उन्हें इस आशय का जांच प्रमाण पत्र राजकीय भूतात्विक प्रयोगशाला, हजारीबाग से प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा। खनिज के विश्लेषण का खर्च पट्टाधारी को वहन करना होगा। खनिज के प्रेषण के 60 दिनों के अन्दर यदि पट्टाधारी उक्त जाँच प्रमाण- पत्र प्रस्तुत नही करते हैं तो यह समझा जायेगा कि प्रेषित किया गया समस्त खनिज सर्वोच्च कोटि का है।

XXVII. अधिनियम या नियम के अतिरिक्त किसी अन्य मान्य नियम में उल्लिखित प्रावधानों के रहते हुए भी राज्य सरकार 24 प्रतिशत वार्षिक दर से किसी भी लगान, स्वामिस्व या शुल्क (खनिज समनुदान नियमावली) के उप नियम 54 के उप नियम के अन्तर्गत देय शुल्क को छोड़कर या अधिनियम या इन नियमों का या किसी पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या खनन पट्टा की शर्त के अन्तर्गत अन्य रकम जो

सरकार को देय है, पर सरकार द्वारा भुगतान के लिए निश्चित की गयी तिथि के 60 दिनों के बीच उनकी तिथि से साधारण सूद सरकार तब तक वसूल कर सकती है जबतक स्वामित्व लगान, शुल्क या अन्य राशि का भुगतान नहीं हो जाता है।

XXVIII. फार्म "के" में पार्ट–6 खण्ड–3 तत्संबंधी बकाये सूद के साथ शब्दों के स्थान पर 24 प्रतिशत वार्षिक सूद की दर से तत्संबंधी सूद के साथ शब्द जोड़ दिये जायेगे।

XXIX. पट्टेधारी को न्यूनतम पारिश्रमिक अधिनियम,1948 के अंतर्गत भारत सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित दर से पारिश्रमिक का भुगतान करना होगा।

XXX. पट्टेधारी को खान अधिनियम,1952 के प्रावधानों का अनुपालन करना होगा।

XXXI. पट्टेधारी को खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली,1988 (यथा अद्यतन संशोधित) के प्रावधानों का अनुपालन करना होगा।

XXXII. फार्म" के" में पार्ट–9 में प्रावधान–3 के बाद निम्नलिखित प्रावधान जोड़ दिये जायेंगे।

यह पट्टा झारखण्ड राज्य के जमशेदपुर जिले के मुख्यालय जमशेदपुर में भारत के संविधान के अनुच्छेद–226 के उपबंध के अधीन रहते हुए निष्पादित किया जाता है और पट्टे के अधीन आनेवाले क्षेत्र पट्टे की शर्तों पट्टे के अधीन वसूली और पट्टेदार व पट्टाकर्ता द्वारा यह करार किया जाता है कि पट्टे के अधीन आने वाले क्षेत्र के पट्टे की शर्तों और पट्टेदार व पट्टाकर्ता के बावत सभी विषय के संबंध में किसी विवाद की दशा में वाद अपील जमशेदपुर के सिविल न्यायालय में अथवा याचिका झारखण्ड उच्च न्यायालय, रॉची में दायर की जाएगी ऊपर नामित न्यायालय से भिन्न किसी स्थान पर कोई वाद या अपील दायर नहीं करेगा या कोई कार्रवाई नहीं करेगा।

XXXIII. खनन क्षेत्र पर प्राचीन जनजातियाँ निवास करती है। अतः प्राचीन जनजातियो के विस्थापन हेतु समुचित पुनर्वास आवेदक को संबंधित रयत एवं उपायुक्त की संयुक्त सहमति से करना होगा।

XXXIV. यदि पट्टेधारी खनन कार्य हेतु वृक्ष काटेंगे या जमीन पर गड्ढे आदि बनायेंगे तो उन्हें पूरे क्षेत्र की भरपाई करनी होगी और पूरे क्षेत्र पर वृक्ष लगाना होगा।

XXXV. आदिवासी रैयतों के हितो तथा रैयती जमीन से संबंधित मुआवजे की राशि के भुगतान हेतु संबधित रैयतो को स्थानीय भारतीय स्टेट बैंक या किसी बैंक की शाखा में अपने नाम से खाता खोलना होगा, जिसकी सूचना पट्टेधारी को देनी होगी तथा रैयती जमीन के मुआवजे की राशि नियत समय पर संबंधित रैयतों के खाते में जमाकर पट्टेधारी द्वारा इसकी सूचना उपायुक्त को देनी होगी।

XXXVI. सार्वजनिक स्थल की सुरक्षा की जवाबदेही पट्टेधारी की होगी।

XXXVII. पट्टेधारी को रैयती क्षेत्र में खनन कार्य करने से पूर्व अँचलाधिकारी द्वारा सत्यापित संबंधित रैयतों का सहमति पत्र उपायुक्त के समक्ष दाखिल करना होगा और उपायुक्त के द्वारा सुनिश्चित किये जाने पर कि संबंधित रैयतो को खनन कार्य किये जाने वाले क्षेत्र के लिए

उचित मुआवजा की राशि का भुगतान हो गया है पट्टाधारी खनन कार्य प्रारम्भ करेगे।

XXXVIII. पट्टेधारी द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों का पालन करना सुनिश्चित किया जाएगा। खनन कार्य के सबध मे आवेदक तथा रैयतो के बीच कोई भी सव्यवहार लागू का तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप ही होगा। यदि सबधित का तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अधिकृत पदाधिकारी की पुर्वानुमति से पट्टेधारी को रैयत द्वारा अपनी जमीन निर्धारित रकम पर बेच दी जाती है तथा सबधित भूमि का रैयती अधिकार पट्टेधारी के नाम हस्तान्तरित हो जाता है, उस स्थिति मे रैयतों को कोई मुआवजा देय नही होगा। सबधित उपायुक्त यह सुनिश्चित करेंगे कि सबधित का तकारी अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित हो।

XXXIX. उक्त नवीकरण सिविल अपील सख्या–4601–02/97 समथा–बनाम–आंध्र प्रदेश सरकार एवं अन्य में दिनाक 11.07.1997 को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में राज्य सरकार द्वारा लिए जाने वाले निर्णय से प्रभावित होगा।

XL. पट्टेधारी द्वारा माईन क्लोजर प्लान का पूर्णरूपेण अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।

XLI. पट्टेधारी द्वारा फॉरेस्ट कन्जरवेशन एक्ट एवं पर्यावरणीय सबधी अधिनियमों/नियमो के प्रावधानों का पूर्णरूपेण पालन सुनिश्चित किया जाएगा।

XLII. पट्टेधारी को स्वीकृत खनिज के अतिरिक्त, पट्टा क्षेत्र मे अगर कोई दूसरा खनिज प्राप्त होता है तो 60 दिनों के अन्दर ऐसे नये खनिज के सबध मे राज्य सरकार को सूचना देना अनिवार्य होगा।

नये खनिज, जो पट्टे में वर्णित नहीं हैं, प्राप्त होने पर पट्टेधारी को ऐसे नए खनिज पर न तो अधिकार होगा और न ही वे तब तक ऐसे नये खनिज का उपयोग/बिक्री कर सकेंगे जबतक इस पट्टे में नये खनिज को सम्मिलित नही कर लिया जाता है अथवा अलग से पट्टा प्राप्त नहीं कर लिया जाता है।

XLIII. पट्टेधारी द्वारा लीज निर्माण से जुड़े स्थलों यथा रेलवे लाइन, ट्राम–वे आदि से कम से कम 50 (पचास) मीटर की दूरी तक कोई खनन कार्य या ऐसी कार्रवाई जिससे उन स्थलों की क्षति की सभावना हो नही किया जाएगा।

XLIV. पट्टेधारी द्वारा अपने खर्च से पट्टा क्षेत्र का पक्का एवं मजबूत सीमाकन तथा उसका रख–रखाव सुनिश्चित किया जाएगा।

XLV. पट्टेधारी द्वारा सार्वजनिक स्थलों यथा धार्मिक स्थल, श्मशान, कब्रगाह, आदि मे खनन कार्य नही किया जाएगा। पट्टा क्षेत्र में भवन निर्माण या पक्की संरचना खड़ी नहीं की जाएगी।

XLVI. पट्टेधारी द्वारा पिट हेड के नजदीक 'वे ब्रीज' रखना आवश्यक होगा जिसकी जाँच सरकार द्वारा नामित/अधिकृत पदाधिकारी द्वारा समय–समय पर की जाएगी।

XLVII. पट्टेधारी द्वारा खनन पट्टा की स्वीकृति की तिथि से एक वर्ष के अन्दर खनन कार्य प्रारम्भ नही करने पर स्वीकृत पट्टे को परिसमाप्त कर दिया जाएगा।

XLVIII. खनन पट्टा की परिसमाप्ति के छः माह के अन्दर पट्टा क्षेत्र में रक्षित सामग्री, यंत्र आदि नही हटाने पर उसे सरकार द्वारा जब्त कर लिया जाएगा।

XLIX. उक्त नवीकरण यूरेनियम खनिज के खनन से आस-पास के क्षेत्रों में पर्यावरण एवं स्थानीय निवासियों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव के लिए जारी अध्ययन प्रतिवेदन पर लिए जाने वाले निर्णय के फलाफल पर निर्भर करेगा।

L. पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय,भारत सरकार के परिपत्र जे0–2001/11/98–1–ए – II (M) दिनांक–28.10.2004 के आलोक में अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात ही राज्यादेश निर्गत होगा।

2– निष्पादित एवं निबंधित पट्टे के तीन प्रतियाँ इस विभाग को शीघ्र भेंजें।

3– क्षेत्र का नक्शा लौटाया जाता है।

झारखण्ड के राज्यपाल के आदेश से,

ह०/–

(आनन्द मोहन ठाकुर)
सरकार के उप सचिव।

झारखण्ड सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग।

ज्ञापांक– बी०एम०–06–1030/90 2146 /एम0, राँची, दिनांक 07-10-14

प्रतिलिपि :– डायरेक्टर जेनरल ऑफ माईन्स सेफ्टी, धनबाद/ उप सचिव, परमाणु ऊर्जा विभाग, भारत सरकार/डायरेक्टर, परमाणु ऊर्जा विभाग, परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय, भारत सरकार, हैदराबाद /उप निदेशक, खान, कोल्हान/जिला खनन पदाधिकारी, जमशेदपुर/मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची/सर्वश्री यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लि०, जादुगोड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

7.10.14

सरकार के उप सचिव।